12.11.22 वादी के निवेदन पर पत्रावली लोक अदालत में पेश हुयी है। बहस सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खाता सं0 341 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम रामकिशोर के स्थान पर बोलता नाम किशोरीलाल सहवन से गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जावें। वादी ने वादपत्र के साथ विद्यालय का प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट आदि की प्रतियां प्रस्तुत की है जिनमें वादी का नाम रामकिशोर अंकित है। बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मे वादी का नाम किशोरीलाल सहवन से गलत दर्ज है जबकि वादी का सही नाम रामकिशोर है जिसकी पुष्टि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादीया साबित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम टोडा पटवार हल्का टोडा स्थित भूमि खाता सं0 341 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार किशोरीलाल के स्थान पर रामकिशोर दुरुस्त करें। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)